16/3/18 वकील उभय पक्ष उपस्थित। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली वास्ते निर्णय दि० 6/4/18 को पेश हो।

6/4/18 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित। निर्णय अलग से पृथक पत्रावली में लिखाया जाकर शामिल किया गया [illegible] पृथक पत्रावली [illegible] [illegible]।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)हनुमानगढ।

निर्णय दिनांक :–

ीठासीन अधिकारीः–सुरेन्द्र पुरोहित(आर ए एस)

ा वाद संख्या :–415/2017

सिह पुत्र अजायब सिह जाति जटसिख निवासी मुण्डा तहसील हनुमानगढ।

---वादी।

बनाम

चरण सिह 2. जलौर सिह पि. श्री अजायब सिह जाति जटसिख निवासी मुण्डा तहसील ानगढ 3. तहसीलदार(राजस्व) हनुमानगढ।

-----प्रतिवादीगण।

अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधि.

स्थितः–

सुरेन्द्र कुमार सहारण एडवोकेट–वादी।

भवानी सिह एडवोकेट–प्रतिवादी।

दिनांक 6/4/18

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक परिवार के सदस्य है तथा आपस में सगे भाई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के चक 8 एम डी खाता संख्या 30/28 में कुल 15.170 है.नहरी में से 1.057 है. व प्रतिवादी ा 1 के नाम से 1.489 है. व प्रतिवादी वादी संख्या 2 के नाम से 1.489 है. इसी चक के ा संख्या 5/25 में कुल 5.821 है.नहरी मय गै.मु. कृशि भूमि में वादी का 1.520 है. व वादी संख्या 1 के नाम से 1.521 है. व प्रति. 2 के नाम से 1.521 है. कृशि भूमि दर्ज ास्व रिकार्ड है तथा चक 9 के एस पी तहसील टिब्बी की कृशि भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में जरिये दस्तबरदारी दिनांक 29.11.2017 से हक त्याग कर ा है।

वादीगण का कथन है कि उक्त कृशि भूमि अच्छी मन्दी के हिसाब से धरू विभाजन वाद की चरण संख्या 4 अनुसार घरू विभाजन कर लिया है तथा उसी अनुसार मौका पर बिज होकर का त कर रहे है। मौका पर कब्जा के संबध में कोई विवाद नही है। वादीगण मौका पर कब्जा का त अनुसार मुताबिक घराघरू बंटवारा अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में क्रन करवाने का प्रतिवादीगण को कहा तो वह इन्कार हो गये यही वादी कारण है।

अतः वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी फरमाया ज़ाकर घोशणा की जावे कि वादी व तिवादी संख्या 1 वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृशि भूमि में से मुताबिक धराघरू टवारा वादपत्र की चरण संख्या 4 में वर्णिता कृशि भूमि चक 8 एम डी तहसील हनुमानगढ ; खाता संख्या 30/28 में कुल 15.170 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन में से 3.655 है. हिस्सा बराबर व इची चक के खाता संख्या 5/25 में कुल 5.821 है.न.मय गै.मु. में से 4.562 . बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 2 चक 8 एम डी तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 30/28 में कुल 15.170 है. नहरी मय गै.मु. में से 0.380 है. के खातेदार काश्तकार है व खाता संख्या 5/25 में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जावे।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

चक नंबर–8 एम.डी. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या–30/28 में कुल 15.

Scanned by CamScanner

ाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर किया गया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और ोनामा पे । किया गया जो बाद तस्दीक भामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 और से जवाब स्टेट पे । कर निवेदन किया गया कि राज्यहित को सुरक्षित रखते हुए ह वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाता है तो कोई एतराज नही है। वादी की और से ाने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर जमाबंदी चक 8 एम डी खाता ब्या 30/28 संवत 2071–74, इसी चक के खाता संख्या 5/25 संवत 2071–74, चक 9 के ह पी खाता संख्या 9/3 संवत 2070–73, प्रमाणित दस्तबरदारी उप पंजीयक टिब्बी दिनांक .11.2017 की चित्र प्रति आदि पेश किये गये।

वादी व प्रतिवादीगण उभय पक्ष की बहस सुनी गई जिन्होने राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने का संयुक्त कथन किया। हमारे द्वारा पत्रावली के अवलोकन पाया गया कि ादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य तथा सगे भाई है। वादी व तिवादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 4 अनुसार घरू विभाजन में वाद ग्रस्त कृशि भूमि प्राप्त कर रहे है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वाद पत्र डिक्री किये जाने हेतु लोक अदालत की भावना से राजीनामा पे । किया है जो भामिल पत्रावली है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में हक परित्याग जरिये दस्बबरदारी किया है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आने से वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा लोक अदालत की भावना से वाद पत्र डिक्री किया जाना उचित होगा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

## आदेश

अतः वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को राजीनामा में वर्णितानुसार कृशि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 चक 8 एम डी के खाता संख्या 5/25 से नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जावे। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। राजीनामा उक्त निर्णय का जुज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखित दप्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 6/11 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

**मूल वाद में डिक्री**
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

Scanned by CamScanner

(4)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकरी एंव पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ

नाम पीठासीन अधिकारी:–सुरेन्द्र पुरोहित(आर ए एस) निर्णय दिनांक :–

स्व वाद संख्या :–415 / 2017

र्मसिह पुत्र अजायब सिह जाति जटसिख निवासी मुण्डा तहसील हनुमानगढ।

---वादी।

बनाम

रचरण सिह 2. जलौर सिह पि. श्री अजायब सिह जाति जटसिख निवासी मुण्डा तहसील हनुमानगढ 3. सीलदार(राजस्व) हनुमानगढ।

-----प्रतिवादीगण।

**अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधि.**

दमा नम्बर:–राजस्व वाद संख्या 248 / 2017

वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर वादीगण को राजीनामा में वर्णितानुसार शे भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 का नाम राजस्व रिकार्ड से मजन किया जावे। संलग्न राजीनामा प्रमाणित प्रतिलिपि अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी ख्या 1 के नाम से कृशि भूमि का यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश ने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 6.4.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक
कलक्टर हनुमानगढ

Web Copy - Not Official

वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रूपया | | रूपया |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3. प्रदर्शो के स्टाम्प<br>4.............रूपये पर ............रूपये पर लीडर की फीस<br>5. साक्षियों के लिए निर्वाह –व्यय<br>6. कमिश्नर की फीस<br>7. आदेशिका की तामिल | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>आदेशिका की तामील<br>कमिश्नर की फीस | |
| जोड़ | | जोड़ | |

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

चक नंबर–8 ...

Scanned by CamScanner